HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 13577 of 2026

Aruna Gupta

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P. and Another

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Prabhav Srivastava
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 82

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदिका की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, वाद सं० 26872/2024, अन्तर्गत धारा 406/ 504/ 506 भा.दं.सं, थाना सिविल लाइन्स, जिला अलीगढ़ में चीफ जूडीसियल मजिस्ट्रेट, अलीगढ़, द्वारा पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 25.03.2025 एवं जमानती वारण्ट दिनांक 14.08.2025 एवं गैर जमानती वारण्ट दिनांक 16.02.2026 को रद्द करने के उद्देश्य से योजित किया गया है।

2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित सम्मन आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश में परिवाद की विषय-वस्तु और धारा 200 व 202 दंड प्रक्रिया संहिता के साक्ष्यों को तो दर्ज किया है, किंतु न तो साक्ष्यों की कोई विवेचना की गई और न ही इस पर विचार किया गया कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से क्या कृत्य किया गया था। आक्षेपित आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि मजिस्ट्रेट ने सम्मन आदेश पारित करने से पूर्व मामले के तथ्यों पर विचार भी किया था। ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि मजिस्ट्रेट ने चुनौती दिए गए आदेश को पारित करने से पूर्व मामले के तथ्यों, साक्ष्य या कानून पर विचार किया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में. आक्षेपित सम्मन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया।

4. मामला विचारणीय है।

5. विपक्षी सं० 2 को नोटिस जारी हो। आवेदिका की ओर से नोटिस भेजने के संबंध में आवश्यक पैरवी 1 सप्ताह के अन्दर की जाय।

6. विपक्षी 4 सप्ताह में प्रतिशपथपत्र दाखिल करें। तत्पश्चात् आवेदिका की ओर से 2 सप्ताह में प्रत्युत्तरशपथपत्र दाखिल किया जाय।

7. तत्पश्चात इस वाद को सूचीबद्ध किया जाय।

8. प्रश्नगत मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित वाद में आवेदिका के विरूद्ध अग्रिम आदेश तक कोई प्रपीड़क कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

April 24, 2026
S.Mishra

Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad